

औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 488/औ.वि.
/VII-2/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर-5(4) से अनुमोदित नये उद्यमों को
विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

प्रेषक,

.....
.....
.....

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

.....

विषय: नए उद्यमों को विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति सहायता योजना हेतु आवेदन पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि हमारी इकाई मै., जो सूक्ष्म, लघु/मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के अध्याय-3 धारा-7 में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम के रूप में उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत है तथा हमारी इकाई उत्तराखण्ड शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 के अन्तर्गत नए उद्यमों को विद्युत बिलों में प्रतिपूर्ति सहायता योजना के लिए पात्र है। योजना में निहित प्राविधानों के अनुरूप हम अपनी इकाई के लिए माहसे माह..... तक कुल रु. के प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर रहे हैं। आवेदन पत्र के साथ बिल/भुगतान रसीद की फोटो प्रति संलग्न है।

जनपद का नाम		श्रेणी उद्योग			उत्पाद/सेवा			
कनेक्शन सं. स्वीकृत लोड	बिल संख्या	दिनांक	उपभोग अवधि माह		बिल भुगतान		धनराशि	प्रतिपूर्ति राशि
			से	तक	रसीद संख्या	दिनांक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

इकाई के स्वामी/साझेदार/
निदेशक के हस्ताक्षर

आई.एस.ओ.-9000 / 14000 प्रमाणीकरण / बी.एस.आई. / आई.एस.आई. / एफ.पी.ओ. आदि
मानकों हेतु प्रोत्साहन सहायता के लिए आवेदन-पत्र

1. इकाई का पता :
 - (क) कार्यशाला :
 - (ख) कार्यालय :
 - (ग) दूरभाष सं. :(यदि प्रो० उद्यमी अनु०जाति / जनजाति / अन्य पिछड़े वर्ग का हो, तो उल्लेख करें)
 2. सूक्ष्म / लघु / मध्यम उद्यम के अन्तर्गत उद्यमी ज्ञापन भाग-2 की अभिस्वीकृति / आई.ई.एम. / एल.ओ. आई. संख्या एवं तिथि (अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)
 3. उत्पाद का विवरण, जो पंजीयन प्रमाण पत्र में अंकित हैं:-
 4.
 1. इकाई का पूंजी विनियोजन (लाख रू० में) भूमि / भवन:-
प्लाण्ट / मशीनरी:-
 2. अनुमानित वार्षिक उत्पादन मात्रा:-
क्षमता:-
मूल्य (लाख रू० में):-
 3. सृजित रोजगार संख्या:-
 5. आई.एस.ओ.-9000 / 14000 प्रमाणीकरण संख्या एवं दिनांक:-
 6. प्रमाणीकरण के लिये अधिकृत संस्था का नाम व पता, नम्बर तथा प्रतीक चिन्ह:-
(प्रमाणीकरण करने वाली संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न करें। प्रमाण पत्र में प्रमाणीकृत स्थल का पता, प्रमाणीकृत कार्यक्षेत्र, प्रमाण पत्र संख्या, तिथि एवं वैधता अवधि अंकित हो)
 7. आई.एस.ओ.-9000 / 14000 क्वालिटी सर्टिफिकेट प्राप्त करने में व्यय की गई धनराशि का विवरण:-
-

क्र. सं.	उद्देश्य	प्रदान करने वाली संस्था का नाम	चालान संख्या व दिनांक	चालान की धनराशि	प्राप्ति संख्या व दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7

1. प्रार्थना-पत्र शुल्क / प्रमाण -पत्र शुल्क।
2. एसैसमेन्ट / परीक्षण शुल्क।
3. वार्षिक शुल्क / लाईसेन्स शुल्क।
4. प्रीसर्टिफिकेशन व्यय।
5. सलाह / प्रशिक्षण आदि व्यय।
6. अन्य विविधि व्यय यदि कोई हो।

(उपरोक्त से सम्बन्धित किये गये भुगतान के बीजक एवं भुगतान प्राप्ति रसीद की प्रमाणित प्रतियाँ, प्रमाणीकरण हेतु किये गये कुल व्यय के चाटर्ड एकाउन्टेंट द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र सहित संलग्न करें)

8. प्रमाणीकरण हेतु पहले से प्राप्त प्रतिपूर्ति सहायता/अनुदान का विवरण:-
(यदि आई.एस.ओ-9000 / 14000 प्रमाणीकरण हेतु प्रदेश सरकार/केन्द्र सरकार/वित्तीय संस्थाओं से सहायता प्राप्त की गई हो)
9. टिप्पणी/अन्य

अनुलग्नक – 2

*Certificate from Chartered Accountant in respect of Proof of Expenditure
incurred for acquiring ISO-9000/ISO-14000*

(in a C.A. Letter Head)

TO WHOM IT MY CONCERN

The documents & records of M/s. _____
with their Regd. Office at _____
and factory located at _____

I.E.M./L.O.I./E.O.U./F.D.I./F.T.C./ E.M. Part-II No.
_____ dt. _____ in

respect of the expenditure incurred by them in acquiring ISO-9000/ISO-
14000 Certificate (or its equivalent) have been verified, and it is certified
that the said company have incurred a total expenditure of Rs.

_____ (Rupees _____)

towards Application fee; Assessment/Audit fee; Annual Fee/Licence fee;
Training; Calibaration; and Technical Consultancy etc. (excluding hotel
& travel expenses & Surveillance charges) in obtaining ISO-9000/ISO-
14001 from the Certification Agency
namely _____; as per the following details of

payments :

Details of Payments (Name of Certification Agency/Orgn.) Amount
paid (Rupees in words)

- a) Application Fee paid to _____
 - b) Assessment/Audit Fee paid to _____
 - c) Annual Fee/Licence Fee paid to _____
 - d) Calibartion Charges paid to _____
 - e) Technical Consultancy Charges paid to _____
 - f) Training Expenses paid to _____
 - g) Other misc. Expenses related to Certification _____
- TOTAL** _____

Place : _____ Signature of the Chartered Accountant
with Name, Stamp & CA Membership
Number)

Dated _____

- (Payments at (a), (b) & (c) above should be supported by copies
of receipts of payments made to the Certification Agency, duly
attested. The payment receipts must indicate the purpose for
which the payments have been made to the Certification

Agency.)

(रु0 100/- के नॉन जुडीशियन स्टेम्प पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित)
अनुबन्ध पत्र/घोषणा पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पति
श्री निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/साझेदार/स्वामी
मैसर्स (पंजीकृत कार्यालय का पूरा
पता) इकाई के
कार्यस्थल का पूरा पता
जो भारत सरकार/उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल (जिला उद्योग केन्द्र) से
सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम के रूप में उद्यमी ज्ञापन भाग-2 अभिस्वीकृति संख्या
..... दिनांक से स्थाई रूप से पंजीकृत हैं, निम्न प्रकार से
सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ:-

1. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा आई.एस.ओ.-9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की योजनाओं में किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सहायता/अनुदान इससे पूर्व प्राप्त नहीं किया गया है।
2. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / वित्तीय संस्था द्वारा आई.एस.ओ.-9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु (जहाँ से सहायता प्राप्त की है, का नाम व पता) इनसे रु0 प्रोत्साहन सहायता/अनुदान के रूप में प्राप्त किया है।
3. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा आई.एस.ओ.-9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही (योजना का नाम) योजनान्तर्गत रु0..... अनुदान/प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन किया है तथा अभी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
4. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा आई.एस.ओ.-9000/14000 प्रमाणीकरण हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही किसी भी योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. कि यदि उपरोक्त औद्योगिक एकक, सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त इस योजना के अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार/ वित्तीय संस्था से संचालित इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करता है, तो इस तथ्य को इस योजना में प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करते समय सरकार/जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय के संज्ञान में लायेगा तथा इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्ण पालन करेगा।

6. मैं (पूरा नाम) पुत्र
श्री प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार
सर्वश्री (पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ
कि यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य
अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं इसके लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूँगा तथा
सरकार से प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि मय दण्ड
ब्याज सहित, निदेशक उद्योग, उत्तरांचल/उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा
अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर एक माह के भीतर पूर्ण
रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

गवाहों के हस्ताक्षर (नाम व पते सहित)

- 1.
- 2.

अनुबन्धकर्ता का नाम व पता
हस्ताक्षर
सील व मुहर सहित।

प्रदूषण नियंत्रण साधनों की स्थापना पर प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन पत्र

1. इकाई का नाम व पता :
(क) कार्यालय का नाम व पता :
(ख) फैक्ट्री स्थल का नाम व पता :
2. पंजीकरण संख्या व दिनांक :
(क) सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम के अन्तर्गत फाईल किया गया उद्यमी ज्ञापन भाग-2
(ख) आई.ई.एम./एल.ओ.आई. संख्या व दिनांक:
3. उत्पाद :
4. पूंजी विनियोजन :
(1) भूमि, भवन :
(2) प्लाण्ट/मशीनरी :
(3) प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर :
(4) अन्य विविध मद :
5. उत्पादन क्षमता :
6. रोजगार :
7. प्रदूषण नियंत्रण यंत्र संयंत्र स्थापना पर व्यय का विवरण :
(क) निर्माण कार्यों पर व्यय
(ख) यंत्र/संयंत्र पर व्यय
(ग) लेबोरेट्री पर व्यय
(घ) परियोजना पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति/अनुमोदन का वितरण
(उपरोक्त से सम्बन्धित किये गये व्यय/भुगतान के बीजक एवं भुगतान प्राप्ति रसीदों की प्रमाणित प्रतियाँ एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण पत्र दावे के साथ प्रस्तुत किया जाय)
8. प्रदूषण नियंत्रण यंत्र संयंत्र हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य संस्था से प्राप्त सहायता का विवरण, यदि सहायता प्राप्त की गई हो। सहायता प्राप्त न किये जाने सम्बन्धी शपथ पत्र अनुलग्नक-2 पर दिया जाय।
9. अन्य विवरण:-

निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं (पूरा नाम) पुत्र श्री

.....निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार सर्वश्री

..... (पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं सरकार से उपरोक्त कार्य के लिये प्राप्त प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता मय दण्ड ब्याज के अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर, पूर्ण रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति

यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री

.....(कार्यालय पता)

..... (इकाई के कार्य स्थल का पता)

..... सूक्ष्म/लघु/मध्यम के अन्तर्गत फाईल उद्यमी ज्ञापन भाग-2/एसआईए/आईईएम अभिस्वीकृति संख्यादिनांक भारत सरकार द्वारा यथापरिभाषित एक सूक्ष्म/लघु/मध्यम स्तरीय सेवा व्यवसाय इन्टरप्राईज/बृहत स्तरीय उद्यम के रूप में प्रदूषण नियंत्रण के साधनों के स्थापना के समय कार्यरत एवं उत्पादनरत थी तथा वर्तमान में भी निरन्तर कार्यरत एवं उत्पादनरत है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के सत्यापन एवं जाँच के आधार पर इकाई द्वारा प्रदूषण नियंत्रण के साधनों के स्थापना हेतु कुल व्यय धनराशि रु0 किया गया है। प्रदूषण नियंत्रण के साधनों के स्थापना हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इन्हें धनराशि रु0..... प्रोत्साहन सहायता के रूप में स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। इकाई को इस योजना के अन्तर्गत सभी श्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति की धनराशि, इस मद में किये गये कुल व्यय से अधिक नहीं है।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र।

पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन पत्र

1. इकाई का नाम व पता :
2. लघु उद्योग स्थाई पंजीकरण/आई.ई.एम.
/एल.ओ.आई. संख्या एवं दिनांक:
(पंजीकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)
3. उत्पाद का विवरण :
4. 1. इकाई का पूंजी निवेश (लाख रू0 में) भूमि/भवन:-
प्लाण्ट/मशीनरी:-
2. अनुमानित वार्षिक उत्पादन क्षमता:- मात्रा:-
मूल्य (लाख रू0 में):-
3. रोजगार सृजन:-
(क) कुशल :
(ख) अर्द्धकुशल :
5. (क) पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन संख्या व दिनांक:-
(ख) पेटेण्ट किये गये उत्पादों का विवरण एवं वैधता अवधि :
(ग) पेटेण्ट पंजीकरण करने वाली अधिकृत संस्था/प्राधिकारी का नाम व पता :

(पंजीकरण की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए)

6. पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन किये जाने में व्यय की गई धनराशि का विवरण:-

क्र. सं.	मद का विवरण जिस धनराशि की गई हो	संस्था/ एजेन्सी, जिसे भुगतान किया गया	चालान/ वाउचर की संख्या एवं दिनांक	प्राप्ति संख्या एवं दिनांक	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6

(व्यय की गई धनराशि की सी0ए0 प्रमाण पत्र अनुलग्नक-1 पर प्रस्तुत किया जाय तथा व्यय की गई धनराशि के प्रमाणित बिल वाउचर एवं प्राप्ति रसीदें दावे के साथ संलग्न करें)

7. इकाई द्वारा इससे पूर्व इस मद में कोई प्रतिपूर्ति सहायता ली गई है अथवा नहीं :
(इस आशय का शपथ पत्र अनुलग्न-2 के अनुरूप दिया जाए)
8. अन्य विवरण, यदि कोई आवश्यक हो :

निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर

घोषणा पत्र

मैं (पूरा नाम) पुत्र श्री
निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार सर्वश्री(पूरा पता)
यह घोषणा करता हूँ, कि आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण सत्य हैं। यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं सरकार से उपरोक्त कार्य के लिये प्राप्त प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता मय दण्ड ब्याज के अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर, पूर्ण रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

निदेशक/साझेदार/स्वामी के हस्ताक्षर

महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र की संस्तुति

यह प्रमाणित किया जाता है कि सर्वश्री(कार्यालय पता) (इकाई के कार्य स्थल का पता) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अन्तर्गत फाईल किया गया उद्यमी ज्ञापन भाग-2/एसआईए/आईईएम की अभिस्वीकृति संख्यादिनांक भारत सरकार द्वारा यथापरिभाषित एक सूक्ष्म/लघु/मध्यम स्तरीय सेवा व्यवसाय बृहत स्तरीय उद्यम के रूप में आई.एस. ओ.-9000/14000 प्रमाणीकरण संख्यादिनांक.....प्राप्त करते समय कार्यरत एवं उत्पादनरत थी तथा वर्तमान में भी निरन्तर कार्यरत एवं उत्पादनरत है। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्र एवं अभिलेखों के सत्यापन एवं जाँच के आधार पर इकाई द्वारा पेटेंट रजिस्ट्रेशन हेतु कुल व्यय धनराशि रु0किया गया है। पेटेंट रजिस्ट्रेशन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत इन्हें धनराशि रु0 प्रोत्साहन सहायता के रूप में स्वीकृत किये जाने की संस्तुति की जाती है। इकाई को इस योजना के अन्तर्गत सभी श्रोतों से प्राप्त अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्रतिपूर्ति की धनराशि, इस मद में किये गये कुल व्यय से अधिक नहीं है।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र।

Certificate from Chartered Accountant in respect of Proof of Expenditure incurred for acquiring Patent Registration

(In a C.A. Letter Head)

TO WHOM IT MY CONCERN

The documents & records of M/s. _____ with their Regd. Office at _____ and factory located at _____ I.E.M./L.O.I./E.O.U./F.D.I./F.T.C./Entrepreneurs Memorandum Part-II No. _____ dt. _____ in respect of the expenditure incurred by them in acquiring ISO-9000/ISO-14000 Certificate (or its equivalent) have been verified, and it is certified that the said company have incurred a total expenditure of Rs.

(Rupees _____) towards Application fee; Assessment/Audit fee; Annual Fee/Licence fee; Training; Calibration; and Technical Consultancy etc. (excluding hotel & travel expenses & Surveillance charges) in obtaining ISO-9000/ISO-14001 from the Certification Agency namely _____; as per the following details of payments :

Details of Payments (Name of Certification Agency/Orgn.) Amount paid (Rupees in words)

- a) Application Fee paid to _____
 - b) Assessment/Audit Fee paid to _____
 - c) Annual Fee/Licence Fee paid to _____
 - d) Calibration Charges paid to _____
 - e) Technical Consultancy Charges paid to _____
 - f) Training Expenses paid to _____
 - g) Other misc. Expenses related to Certification _____
- TOTAL** _____

Place : _____

Signature of the Chartered Accountant with Name, Stamp & CA Membership Number)

Dated _____

- (Payments at (a), (b) & (c) above should be supported by copies of receipts of payments made duly attested. The payment receipts must indicate the purpose for which the payments

have been made.)

(रु0 100/- के नॉन जुडीशियल स्टेम्प पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित)

अनुबन्ध पत्र/घोषणा पत्र

- मैं पुत्र/पुत्री/पति
श्री निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/साझेदार/स्वामी
मैसर्स (पंजीकृत कार्यालय का पूरा
पता)इकाई
के कार्यस्थल का पूरा पता
जो भारत सरकार/उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल (जिला उद्योग केन्द्र) से बृहत एवं सूक्ष्म,
लघु मध्यम उद्यम के रूप में पंजीयन संख्या दिनांक
से स्थाई रूप से पंजीकृत हैं, निम्न प्रकार से सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ:-
1. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की योजनाओं में किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सहायता/अनुदान इससे पूर्व प्राप्त नहीं किया गया है।
 2. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु
..... (जहाँ से सहायता प्राप्त की है, का नाम व पता) इनसे रु0
..... प्रोत्साहन सहायता/अनुदान के रूप में प्राप्त किया है।
 3. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही
..... (योजना का नाम)
योजनान्तर्गत रु0 अनुदान/प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन किया है तथा अभी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
 4. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही किसी भी योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 5. कि यदि उपरोक्त औद्योगिक एकक, सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त इस योजना के अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार/ वित्तीय संस्था से संचालित इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करता है, तो इस तथ्य को इस योजना में प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करते समय सरकार/जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय के संज्ञान में लायेगा तथा इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्ण पालन करेगा।
 6. मैं (पूरा नाम)

..... पुत्र श्री

..... प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार
सर्वश्री (पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ
कि यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य
अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं इसके लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूँगा तथा
सरकार से प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि मय दण्ड
ब्याज सहित, निदेशक उद्योग, उत्तरांचल/उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा
अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर एक माह के भीतर पूर्ण
रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

गवाहों के हस्ताक्षर (नाम व पते सहित)

- 1.
- 2.

अनुबन्धकर्ता का नाम व पता
हस्ताक्षर
सील व मुहर सहित।

विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान प्राप्त करने हेतु पंजीकरण का आवेदन पत्र

प्रेषक,

.....
.....
.....

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

विषय: विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र।

1. इकाई का नाम व पता
2. इकाई के स्वामी/निदेशक/साझेदार का नाम व पता.....
3. सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त की गई उद्यमी ज्ञापन भाग-2/एस.आई.ए./आई.ई.एम. की संख्या व दिनांक.....
.....
4. इकाई एकल स्वामित्व/साझेदारी/को-आपरेटिव सोसाईटी/प्राईवेट/पब्लिक लि. (सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न)
5. उत्पादन का संभावित दिनांक
6. इकाई में किया गया स्थाई पूँजी विनियोजन (प्रस्तावित)
 1. भूमि एवं भूमि विकास रु.
 2. भवन रु.
 3. प्लान्ट एवं मशीनरी रु.
 4. उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष रु.

उत्पादन	मात्रा	मूल्य
1. उत्पाद का नाम		
2. कच्चे माल का स्रोत		

इकाई के स्वामी/निदेशक/
साझेदार के हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र

(सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कर्मचारी द्वारा भरा जायेगा)

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा इकाई का स्थलीय निरीक्षण किया गया तथा इकाई के मूल दस्तावेजों का परीक्षण कर उपादान के लिए प्रस्तावित धनराशि सही/उपयुक्त पाई गई।

ह.
नाम
पदनाम
(सहायक प्रबन्धक, क्षेत्रीय कर्मचारी)

कार्यालय महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र,
संख्या...../वि.रा.पूँजी उपा./ दिनांक

विषय: विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता योजनान्तर्गत पंजीकरण।
महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक.....इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है और आपकी इकाई विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता हेतु निम्न प्रकार पंजीकृत किया गया है। पंजीकरण संख्या दिनांक..... है।

इकाई की पंजीकरण संख्या विशेष राज्य पूँजी निवेश सहायता योजना के प्रत्येक दावे में अंकित किया जाय।

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

औद्योगिक विकास अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या 488/औ.वि./VII-2/2008 दिनांक 29 फरवरी, 2008 के प्रस्तर-(2) से अनुमोदित विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

प्रेषक,

.....
.....
.....

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

.....

विषय: उपादान सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि हमारी इकाई मै , जो सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के अध्याय-3 धारा-7 में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम के रूप में उद्योग निदेशालय के नियंत्रणाधीन जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत है तथा हमारी इकाई उत्तराखण्ड शासन द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों हेतु घोषित विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति-2008 के अन्तर्गत विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र है। योजना में निहित प्राविधानों के अनुरूप हम अपनी नई इकाई में किये गये कुल पूँजी निवेश रु. (रु. शब्दों में)
..परप्रतिशत की दर से कुल रु.. (रु. शब्दों में)
... मात्र की धनराशि का उपादान स्वीकृति हेतु अपना आवेदन पत्र प्रेषित कर रहे हैं।

2. हमारी नई इकाई की योजना पर किये गये पूँजी निवेश का विवरण संलग्न है। इकाई में उपादान अनुमन्यता के प्रयोजन हेतु 1 अप्रैल, 2008 के पश्चात किया गया स्थाई पूँजी निवेश निम्न प्रकार से है:-

1. भूमि एवं भूमि विकास	रु.
2. भवन	रु.
3. प्लान्ट एवं मशीनरी	रु.
4. माल वाहक	रु.
5. अन्य विविध स्थाई पूँजी विनियोजन की मद	रु.
कुल योग	रु.

2(क) अनुदान के लिए पात्र राशि-

भूमि/भवन	रु.
मशीनरी	रु.
अन्य विविध स्थाई पूँजी विनियोजन	रु.

3. प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्र संलग्न है:-

I. सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम विकास अधिनियम के अन्तर्गत फाइल किया गया उद्यमी ज्ञापन भाग-II/SIA/IEM की अभिस्वीकृति।

- II. इकाई की प्रोजैक्ट रिपोर्ट-चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सत्यापित।
 - III. वित्तीय संस्था/राष्ट्रीयकृत बैंक का ऋण स्वीकृति पत्र अथवा स्ववित्त पोषण की दशा में प्रमाण पत्र।
 - IV. भू-स्वामित्व प्रमाण पत्र/पंजीकृत सेल डीड/लीज डीड/किरायेनामा की प्रति।
 - V. सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत भवन निर्माण की स्वीकृति तथा अनुमोदित मानचित्र।
 - VI. आर्किटेक्ट/मान्यता प्राप्त सिविल इंजीनियर द्वारा सत्यापित भवन निर्माण सम्बन्धी आय-व्यय तथा लागत प्रमाण पत्र(यदि निर्माण लागत एक लाख रू० से अधिक है)
 - VII. जिला उद्योग केन्द्र में विशेष राज्य पूँजी निवेश उपादान सहायता योजनान्तर्गत पंजीकरण की प्रति।
 - VIII. प्लान्ट एवं मशीनरी में निवेशित व्यय/बिल वाउचर तथा भुगतान की गई रसीदों की प्रतियां।
 - IX. उत्तराखण्ड के स्थाई एवं मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र (आवश्यकतानुसार)
 - X. एक लाख से अधिक उपादान होने पर निर्धारित प्रारूप में चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाण पत्र।
 - XI. योजना के अन्तर्गत अन्य वांछित सूचना/अभिलेख।
4. हम इस बात के लिए सहमत हैं कि यदि उपादान वितरित किये जाने पर यह पाया जाय कि हमारी इकाई को वास्तविक अनुमन्य उपादान की धनराशि से अधिक धनराशि वितरित कर दी गई है तो उस अतिरिक्त धनराशि को उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित ब्याज तथा इस सम्बन्ध में किये गये अन्य ब्ययों सहित वापस कर देंगे। हम इस बात के लिए भी सहमत हैं कि यदि हमें उपादान की धनराशि वितरित किये जाने के बाद यह पाया जाये कि हमने उपादान धनराशि असत्य तथ्य प्रस्तुत करके प्राप्त की है तो हमसे उपादान की सम्पूर्ण धनराशि (मय ब्याज के) वापस ले ली जाय।
5. हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि हमने इससे पहले इस इकाई के सम्बन्ध में उपादान प्राप्त करने हेतु शासन अथवा किसी वित्तीय संस्था को न तो कोई प्रार्थना पत्र दिया है अथवा न ही कोई उपादान प्राप्त किया है। इकाई की अन्य मदों सहित उपादान की कुल धनराशि रू. है जो कुल योजना लागत में 60 प्रतिशत से कम है।
6. उपादान प्राप्त होने के पश्चात अपनी इकाई को 10 वर्ष से पहले बन्द अथवा विक्रय नहीं करेंगे।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

इकाई के स्वामी/अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
नाम—
इकाई का नाम/पता
मुहर सहित।

टिप्पणी— जो लागू न हो उसे काट दिया जाय।

विशेष राज्य परिवहन उपादान योजनान्तर्गत पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र

1. इकाई का नाम व पता
2. इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशकों कानाम व पता
3. सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा बृहत उद्यम का ई.एम. पार्ट-2 फाईल करने की अभिस्वीकृति संख्या एवं दिनांक
4. उद्यम की प्रकृति
5. उद्यम में उत्पादन कार्य करने की तिथि
6. उद्यम में पूंजी निवेश
(क) भूमि
(ख) भवन
(ग) प्लांट व मशीनरी
7. उत्पादन क्षमता (प्रतिवर्ष)
8. उत्पादन हेतु कच्चा माल की आवश्यकता (प्रतिवर्ष)

कच्चा माल का नाम	मात्रा	मूल्य	कच्चा प्राप्ति के श्रोत तथा स्थान	निर्मित उत्पाद के विक्रय के स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर
मुहर सहित

शपथ पत्र

मैं, शपथपूर्वक यह बयान करता हूं कि आवेदन पत्र में दिये गये तथ्य एवं सूचनायें सही हैं तथा कोई भी तथ्य/सूचना ऐसी नहीं है जिनका प्रकटन आवेदन पत्र में न किया गया हो।

आवेदक के हस्ताक्षर

ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन-पत्र
(वित्त पोषक बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा भरा जायेगा)

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र।

महोदय,

मैं 0को ब्याज

उपादान अनुमन्य कराये जाने विषयक आपके पत्र सं.दिनांक.....

..... के क्रम में अवगत कराना है, कि इकाई को.....उद्योग स्थापनार्थ वितरित प्रोत्साहन सहायता का दावा निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तुत है:-

1. बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण की धनराशि
(क) सावधि ऋण
(ख) कार्यशील पूंजी ऋण
योग
2. ऋण स्वीकृत करने का दिनांक
3. ऋण वितरित करने का दिनांक
4. ब्याज की दर
(क) सावधि ऋण
(ख) कार्यशील पूंजी ऋण
5. ऋण/ब्याज की वापसी का कार्यक्रम
6. ऋण/ब्याज की वापसी कार्यक्रम के अनुसार
ऋण/ब्याज अदायगी की स्थिति
7. इकाई का खाता संख्या
8. देयक का विवरण

दिनांक..... से तक (छ: माही आधार पर)

ऋण धनराशि			ब्याज की धनराशि			उद्यमी द्वारा वहन की जाने वाली धनराशि	ब्याज प्रोत्साहन सहायता की धनराशि 3 प्रतिशत की दर से
विवरण	मूल वितरित धनराशि	बकाया	अवधि	दर	धनराशि		
सावधि ऋण							
कार्यशील पूंजी							
योग							
9.	इकाई की अवस्थिति : ए/बी श्रेणी के जनपद					:	

उक्त देयक के अनुसार दिनांक..... से दिनांक..... तक आगणित ब्याज पर ब्याज उपादान की धनराशि रू0(शब्दों में रूपया.....) का भुगतान करने का कष्ट करें।

हस्ताक्षर शाखा प्रबन्धक

ऋण स्वीकृतकर्ता बैंक अधिकारी का नाम/हस्ताक्षर
वित्त पोषक बैंक की मुहर

**ब्याज प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन-पत्र
(इकाई द्वारा स्वयं भरा जायेगा)**

1. इकाई का पता :
 (क) कार्यशाला :
 (ख) कार्यालय :
 (ग) इकाई की अवस्थिति-सामान्य क्षेत्र/दूरस्थ क्षेत्र :
2. सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम के अन्तर्गत फाईल उद्यमी :
 ज्ञापन भाग-2 संख्या व दिनांक
3. इकाई का संगठन :
4. इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशकों के नाम पते :
5. आवेदक का नाम व पता :
6. उत्पादित वस्तु/वस्तुओं का नाम एवं उत्पादन क्षमता :
7. परियोजना की लागत (इकाई की विस्तृत परियोजना :
 संलग्न है)
 (क) भूमि :
 (ख) भवन/कार्यशाला :
 (ग) मशीनरी एवं उपकरण :
 (घ) कार्यशील पूंजी :
8. योजना की वित्तीय व्यवस्था :
 (क) उद्यमी का अंशदान :
 (ख) बैंक/वित्तीय संस्था से ऋण :
 1. साविधि ऋण :
 2. कार्यशील पूंजी ऋण :
9. बैंक/वित्तीय संस्था का नाम, जहां से ऋण :
 स्वीकृत/वितरित किया गया हो
10. (क) स्वीकृत ऋण :
 1. साविधि ऋण :
 2. कार्यशील पूंजी :
 (ख) वितरित ऋण :
 1. साविधि ऋण :
 2. कार्यशील पूंजी :
 (ग) स्वीकृत/वितरित ऋण पर ब्याज दर
11. अन्य विवरण

**आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर
मुहर सहित**

स्वीकृति का प्रपत्र

कार्यालय, महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र

पत्रांक

दिनांक

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

.....

.....

महोदय,

मैसर्स.....

जो.....(ऋणदाता बैंक का नाम) द्वारा
वित्त पोषित है, को बैंक/वित्तीय संस्था द्वारा उद्योग स्थापनार्थ वितरित ऋण पर जिला
प्राधिकृत समिति की बैठक दिनांकमें दिनांक
से दिनांक तक के दावे की धनराशि रू0.....
(शब्दों में रूपया)
की स्वीकृति प्रदान की गई है।

भवदीय,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र।

(रु0 100/- के नॉन जुडीशियल स्टेम्प पर पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित)
अनुबन्ध पत्र/घोषणा पत्र

- मैं पुत्र/पुत्री/पति
श्री निदेशक/प्रबन्ध निदेशक/साझेदार/स्वामी
मैसर्स (पंजीकृत कार्यालय का पूरा
पता) इकाई
के कार्यस्थल का पूरा पता
जो भारत सरकार/उद्योग निदेशालय, उत्तरांचल (जिला उद्योग केन्द्र) से
सूक्ष्म/लघु/मध्यम एवं बृहत उद्यम रूप में पंजीयन संख्या दिनांक
से स्थाई रूप से पंजीकृत हैं, निम्न प्रकार से सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ:-
1. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही इस प्रकार की योजनाओं में किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति सहायता/अनुदान इससे पूर्व प्राप्त नहीं किया गया है।
 2. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार / राज्य सरकार / वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु
..... (जहाँ से सहायता प्राप्त की है, का नाम व पता) इनसे रु0
..... प्रोत्साहन सहायता/अनुदान के रूप में प्राप्त किया है।
 3. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही
..... (योजना का नाम)
योजनान्तर्गत रु0 अनुदान/प्रोत्साहन सहायता हेतु आवेदन किया है तथा अभी सहायता प्राप्त नहीं हुई है।
 4. कि उपरोक्त औद्योगिक एकक द्वारा भारत सरकार/राज्य सरकार/वित्तीय संस्था द्वारा पेटेण्ट रजिस्ट्रेशन हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु चलाई जा रही किसी भी योजनान्तर्गत प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
 5. कि यदि उपरोक्त औद्योगिक एकक, सहायता के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त इस योजना के अतिरिक्त भारत सरकार/राज्य सरकार/ वित्तीय संस्था से संचालित इसी प्रकार की अन्य योजनाओं में प्रतिपूर्ति अनुदान/प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करता है, तो इस तथ्य को इस योजना में प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता प्राप्त करते समय सरकार/जिला उद्योग केन्द्र/उद्योग निदेशालय के संज्ञान में लायेगा तथा इस सम्बन्ध में योजनान्तर्गत निर्धारित दिशा-निर्देशों/शर्तों का पूर्ण पालन करेगा।
 6. मैं (पूरा नाम)
..... पुत्र श्री

..... प्रबन्ध निदेशक/निदेशक/स्वामी/साझेदार
सर्वश्री (पूरा पता) यह घोषणा करता हूँ
कि यदि आवेदन पत्र/अभिलेखों में प्रस्तुत विवरण व सूचना भविष्य में असत्य
अथवा त्रुटिपूर्ण पाई जाती है, तो मैं इसके लिये पूर्णरूप से जिम्मेदार रहूँगा तथा
सरकार से प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन सहायता के रूप में प्राप्त सम्पूर्ण धनराशि मय दण्ड
ब्याज सहित, निदेशक उद्योग, उत्तरांचल/उत्तरांचल शासन अथवा उनके द्वारा
अधिकृत अधिकारी द्वारा जमा किये जाने के आदेश पर एक माह के भीतर पूर्ण
रूप से अदा करने का वचन देता हूँ।

गवाहों के हस्ताक्षर (नाम व पते सहित)

1.

2.

अनुबन्धकर्ता का नाम व पता
हस्ताक्षर
सील व मुहर सहित।

विशेष राज्य परिवहन उपादान योजनान्तर्गत सहायता हेतु आवेदन-पत्र

प्रेषक,

.....
.....
.....

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

.....

विषय: नए उद्यमों को विशेष राज्य परिवहन उपादान योजनान्तर्गत सहायता।

महोदय,

हमारी इकाई मैं जो सूक्ष्म, लघु/मध्यम उद्यम के रूप में उद्योग निदेशालय/जिला उद्योग केन्द्र में पंजीकृत है। विशेष राज्य परिवहन उपादान योजनान्तर्गत पंजीकृत संख्या दिनांक द्वारा पंजीकृत किया गया है तथा इकाई का वार्षिक टर्नओवर निम्नवत् है, जिसकी चार्टर्ड एकाउन्टेंट एवं वाणिज्य कर विभाग से प्राप्त प्रमाण-पत्र संलग्न है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

1. इकाई की वर्ष में कुल बिक्री रु.
2. इकाई द्वारा उपरोक्त क्र.स. (1) के विरुद्ध वर्ष में देय कर रु.
3. इकाई द्वारा उपरोक्त क्र.स. (1) के विरुद्ध वर्ष में जमा कर रु.

कृपया उपरोक्तानुसार रु. की धनराशि की प्रतिपूर्ति इकाई को भुगतान करने का कष्ट करें।

संलग्नक- वाणिज्य कर विभाग का
प्रमाण-पत्र।
सी.ए. की वार्षिक टर्नओवर
रिपोर्ट

भवदीय,

इकाई के स्वामी/साझेदार
निदेशक के हस्ताक्षर।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं द्वारा वार्षिक कुल बिक्री
रु. घोषित की गई है, बिक्री के विरुद्ध कुल देय व्यापार/वाणिज्य
कर का भुगतान कर दिया गया है।

हस्ताक्षर कर निर्धारण अधिकारी।

विनिर्माणक/उत्पादक उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्यवर्धित कर (VAT) के प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र

प्रेषक,

.....
.....
.....

सेवा में,

महाप्रबन्धक,
जिला उद्योग केन्द्र,

.....

विषय: नए उद्यमों को स्वनिर्मित उत्पादों की बिक्री पर देय मूल्य वर्धित कर की प्रतिपूर्ति हेतु।

महोदय,

हमारी इकाई मै. जो सूक्ष्म, लघु/मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 के अध्याय-3 धारा-7 में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्यम के रूप में पंजीकृत है तथा इकाई का पंजीकरण संख्या दिनांक है। इकाई के त्रैमासिक षटमासिक/वार्षिक जमा कर राशि रु. की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नवत् सूचना प्रस्तुत है।

1. तिमाही/छमाही/वार्षिक कुल बिक्री रु.
2. तिमाही/छमाही/वार्षिक कुल देयकर रु.
3. तिमाही/छमाही/वार्षिक कुल जमाकर रु.

चालान संख्या दिनांक

उपरोक्त आंकड़ों के सत्यापन हेतु वाणिज्य कर विभाग का प्रमाण पत्र संलग्न है। कृपया रु. की धनराशि की प्रतिपूर्ति इकाई को करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(इकाई सील)
प्रबन्धक/पार्टनर/निदेशक।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सर्व श्रीद्वारा तिमाही.....
की कुल बिक्री घोषित की गई है तथा रू..... देय कर के रूप में राजकोष में
जमा किया गया है। जिसका चालान नं. दिनांक है।

हस्ताक्षर

**(कर निर्धारण अधिकारी)
मोहर।**